ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

The 19th March, 1986

No. 4/84/78.JJ(3).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 25 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Parliament Act 2 of 1974) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby appoints the person mentioned in column 2 of the table given below to be Assistant Public Prosecutor in the whole of the State of Haryana:—

Serial No.	Name and Address
1	2
1	Shri Raj Kumar Arora, Assistant District Attorney Office of F. C. R., Haryana.

L. C. GUPTA,
Financial Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.

HEALTH DEPARTMENT

The 1st April, 1986

No. 12/12/86-2HB-II.—The Governor of Haryana hereby declares Dr. S. S. Sirivastva, HCMS-I, as Chemical Examiner to Haryana Government, Karnal, for the purpose of section 293 of the Code of Criminal Procedure, 1973, for testing samples, declaring results and preparing reports thereon with effect from 20th January, 1986 (afternoon).

TARSEM LAL,
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Health Department.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 27 मार्च, 1986

क्रमांक 191-ज-(2)-86/9697.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री खेता राम, पुत्र श्री मोहर सिंह, गांव ढाणी फोगाट, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को रबी, 1969 से रबी, 1970 तक 100 रुपये वार्षिक, खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 197-ज-(1)-86/9701.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1)(ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री बरकत सिंह, पुत्र श्री बताबा सिंह, गांव ब्रह्मन्यू बस्ती, तहसील थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र, को खरीफ, 1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 2 अप्रैल, 1986

क्रमांक 263-ज-(1)-86/10477.—श्री धर्मपाल शर्मा, पुत्र श्री लालजी राम, निवासी प्रभुनगर मण्डी, तहसील सोनीपत, जिला सोनीपत, की दिनांक 23 अक्तूबर, 1985, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार

अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री धर्मपाल शर्मा की मुल्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1204-आर-(4)-68/1471, दिनांक 3 अप्रैल, 1968 तथा 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-जे-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती लीलावन्ती के नाम खरीफ, 1986 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 134-ज(2)-86/10481.—श्री घनश्याम, पुत्र श्री दले राम, गांव बिसाहत, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, की दिनांक 25 सितम्बर, 1985 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री घनश्याम को मुल्लिग 300 रुपए वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1101-ज-(2)-74/15303, दिनांक 31 मई, 1974 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-जे(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती पारवती के नाम रबी, 1986 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 3 अप्रैल, 1986

क्रमांक 279-ज-(2)-86/10731.—श्री तुला राम, पुत्र श्री खेमराज, गांव आकोदा, तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 16 जुलाई, 1984, को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री तुला राम को मुल्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1152-ज-(I)-72/17364, दिनांक 11 मई, 1972 तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती चलती देवी के नाम रबी, 1985 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

क्रमांक 286-ज-(2)-86/10736.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री राजू राम, पुत्र श्री भाला राम, गांव हुडोदा, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को खरीफ, 1965 से रबी 1970 तक 100 रुपए वार्षिक, खरीफ, 1970 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

सोम नाथ,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

BUILDINGS AND ROADS BRANCH

The 31st March, 1986

No. II/3-B. & R. (Estt.)-2-86.—On attaining the age of 58 years Shri O. P. Verma, Executive Engineer, P.W.D., B & R, Haryana, will retire on superannuation from service with effect from 31st March, 1986 (A. N.).

KIRAN AGGARWAL,
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
P.W.D., B. & R.